भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4224
दिनांक 01 अप्रैल, 2026 / 11 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

फोरेंसिक कर्मचारियों के रिक्त पद और जांच को प्रभावित करने वाली समस्याएं

4224# श्री रामजी लाल सुमन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) तथा राज्य की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कार्यकुशल वैज्ञानिकों की कमी के कारण आपराधिक मामलों की जांच के लिए एकत्र किए गए भौतिक साक्ष्यों, जैसे उंगलियों के निशान, डीएनए, बैलिस्टिक तथा दस्तावेजों के विश्लेषण का कार्य समय पर पूरा नही हो पा रहा है, जिससे जांच कार्य प्रतिकुल रुप से प्रभावित हो रहा है; और

(ग) देशभर की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कर्मचारियों के रिक्त पदों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) वर्तमान में, देश में 07 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ (सीएफएसएल) हैं, जो चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल (मध्य प्रदेश), कामरूप (असम), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), हैदराबाद (तेलंगाना) और पुणे (महाराष्ट्र) में स्थित हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश के 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 32 राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ (राज्य एफएसएल) हैं; इनमें चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, और लक्षद्वीप शामिल नहीं हैं, जो अपने पड़ोसी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

(ख) "पुलिस" एवं "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, अपराधों एवं अपराधियों की जाँच एवं अभियोजन तथा उनसे संबंधित फॉरेंसिक विज्ञान सुविधाओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

फोरेंसिक रिपोर्ट की उपलब्धता, जाँच में सहायता प्रदान करती है। हालाँकि, किसी मामले का निपटारण विभिन्न कारकों, जैसे मामले की श्रेणी (सिविल या आपराधिक), शामिल तथ्यों की जटिलता, सबूतों की प्रकृति और संबंधित हितधारकों का सहयोग, पर निर्भर करता है।

हालाँकि, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश में फोरेंसिक इको-सिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु₹4800 करोड़ सेअधिक वित्तीय परिव्यय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश के सभी हिस्सों में गुणवत्तापूर्ण और प्रशिक्षित फोरेंसिक मानव संसाधन उपलब्ध करने हेतु वर्ष 2020 में संसद के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) की स्थापना शामिल है। गांधीनगर (गुजरात) और दिल्ली में प्रारम्भिक परिसरों के अलावा, गोवा, अगरतला (त्रिपुरा), भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक), गुवाहाटी (असम), नागपुर (महाराष्ट्र), खोरधा (ओडिशा), रायपुर (छत्तीसगढ़), चेंगलपट्टू (तमिलनाडु), राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में 14 अतिरिक्त परिसर की स्थापना को मंजूरी दी गई है। एनएफएसयू ने इंफाल (मणिपुर) और पुणे (महाराष्ट्र) में प्रशिक्षण अकादमी भी स्थापित की हैं।

(ग) देश की केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में रिक्त वैज्ञानिक पदों का विवरण अनुलग्नक पर देखा जा सकता है। राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में रिक्त पदों से संबंधित विवरण केंद्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

****

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4224 दिनांक 01.04.2026

अनुलग्नक

देश की केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में रिक्त वैज्ञानिक पदों का विवरण

क्र. सं.	सीएफएसएल का स्थान	रिक्त वैज्ञानिक पद
1.	कामरूप (असम)	14
2.	चंडीगढ़	10
3.	हैदराबाद (तेलंगाना)	19
4.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	17
5.	दिल्ली	78
6.	पुणे (महाराष्ट्र)	08
7.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	11

****